.न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) जायल जिला–नागौर

बइजलास – रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

मुकदमा नं. 36/2020

प्रार्थी :–

जगदीश डिडेल पुत्र रामचन्द्र
जाति–जाट निवासी–रोल तहसील जायल जिला–नागौर।

बनाम

अप्रार्थीगण :–

तहसीलदार जायल जरिये राजस्थान सरकार

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955

1. अधिवक्ता श्री गोविन्दराम ढाका प्रार्थी की ओर से।
2. अप्रार्थी की ओर से राजपैरोकार उपस्थित।

– : : आदेश : : –

1. प्रार्थना पत्र का संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए का पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी का खेत खसरा नं. 1199 रकबा 0.7851 हैक्टेयर मौजा रोल तहसील जायल में स्थित है। प्रार्थी अपने खेत में आने जाने के लिए वर्षो पुराने रास्ता जो कि खसरा नं. 1200 रकबा 6.3131 हैक्टैयर गैर मुमकिन मगरा में से आते जाते रहे है। इसी रास्ता से प्रार्थी अपने खातेदारी के खेत में काश्त करसण करते रहे है तथा अपने पशुधन ट्रेक्टर ऊंट–छकड़ा इत्यादि लाते जाते रहे है। प्रार्थी को अपने खेत में आने जाने के लिए अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। यही एक मात्र रास्ता है जिससे प्रार्थी अपने खेत मे कृषि संसाधनो सहित आने जाना कर सके। खेती कार्य कर सकें जो कटाणी रास्ता खसरा नं. 1221 जो कि रास्ता है जो नजदीकी रास्ते से सबसे कम दूरी का यहीं एक मात्र रास्ता है।

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार जायल को हस्तगस्त प्रकरण में मौका रिपोर्ट हेतु तहरीर जारी की गई, जिसकी पालना में तहसीलदार जायल से मौका रिपोर्ट जरिये पत्रांक : भू.अ./2020/3020 दिनांक 13.10.2020 प्राप्त होने पर पत्रावली में शामिल निशल की गई। तहसीलदार जायल ने मौका रिपोर्ट में बताया कि प्रार्थी द्वारा अपने

सहायक कलक्टर * (एस.डी.ओ.) जायल *

03/11/2020
सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.)
जायल, जिला नागौर

खातेदारी के खेत में 1199 ग्राम रोल तहसील जायल में कृषि कार्य हेतु कृषि संसाधनो को लाने व ले जाने के लिए खसरा नं. 1200 में से रास्ते की मांग की गई है। खसरा नं. 1200 जो कि सरकारी भूमि है तथा उक्त भूमि की किस्म गैर मुमकिन मगरा है। प्रार्थी के खातेदारी व कब्जा सुदा खेत खसरा नं. 1199 के सबसे नजदीकी रास्ता खसरा नं. 1200 की पूर्वी सीमा की तरफ से लगता है, जिसमें से ही प्रार्थी का आना जाना रहता है। उक्त रास्ता ही सबसे नजदीकी रास्ता है। खसरा नं. 1200 में से प्रस्तावित रास्ते के लिए उपयोग में आने वाली भूमि पर किसी प्रकार कच्चा पक्का निर्माण कार्य नहीं किया हुआ है। प्रस्तावित रास्ते के लिए उपभोग में आने वाली भूमि का रकबा 0.10 बीघा है, जो जिसकी स्टेट हाईवे की डी.एल.सी. दर (100 मीटर के अन्दर होने) से 90054/–रू. (डी.एल.सी. दर का दुगनी) प्रति बीघा बनती है।

3. हस्तगत प्रकरण में अप्रार्थी तहसीलदार जायल से मौका रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात् प्रकरण हाजा में वकील प्रार्थी व राजपैरोकार के निवेदन पर पत्रावली में बहस हेतु तारीख पेशी नियत की गई।

4. दौराने बहस वकील प्रार्थी व राजपैरोकार को सुना गया। वकील प्रार्थी ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहरान करते हुये निवेदन किया कि प्रार्थी का खातेदारी, कब्जा सुदा खेत खसरा नं. 1199 रकबा 0.7851 हैक्टेयर मौजा रोल तहसील जायल में स्थित है। प्रार्थी अपने खातेदारी के खेत में आने जाने के लिए वर्षो पुराने रास्ता जो कि खसरा नं. 1200 रकबा 6.3131 हैक्टैयर गैर मुमकिन मगरा में से आते जाते रहे है। इसी रास्ता से प्रार्थी अपने खातेदारी के खेत में काश्त करसण करते रहे है तथा अपने पशुधन ट्रेक्टर ऊंट–छकड़ा इत्यादि लाते जाते रहे है। प्रार्थी को अपने खेत में आने जाने के लिए अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। जिससे प्रार्थी अपने खेत मे कृषि संसाधनो सहित आने जाना कर सके तथा खेती संबंधी कार्य कर सकें। सबसे कम दूरी का यहीं एक मात्र रास्ता है। वकील प्रार्थी ने तहसीलदार जायल से प्रस्तावित रास्ते के लिए प्राप्त मौका रिपोर्ट के सबंध में अवगत कराया कि ग्राम रोल तहसील जायल के खसरा नं. 1200 जो कि सरकारी भूमि है तथा किस्म गैर मुमकिन मगरा है। प्रार्थी के खातेदारी व कब्जा सुदा खेत खसरा नं. 1199 के सबसे नजदीकी रास्ता खसरा नं. 1200 की पूर्वी सीमा की तरफ से लगता है, जिसमें से ही प्रार्थी का आना जाना रहता है। प्रस्तावित रास्ते के लिए नजरी नक्शानुसार मार्क ए से बी पर किसी प्रकार कच्चा पक्का निर्माण नहीं है। प्रस्तावित रास्ते के लिए उपयोग में आने वाली भूमि का रकबा 0.10 बीघा है, जिसकी स्टेट हाईवे की डी.एल.सी. दर 100 मीटर के अन्दर

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

03/11/2021
सहायक कलक्टर(एस.डी.ओ.)
जायल.जिला नागौर

होने से 90054/–रू. (डी.एल.सी. दर का दुगनी) प्रति बीघा बनती है। जो राशि प्रार्थी वहन करने के लिए सहमत है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर प्रार्थी के खेत खसरा नं. 1199 में कृषि कार्य हेतु आने जाने तथा कृषि कार्य के आवश्यक संसाधन के आवागमन हेतु प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शानुसार 30 फीट चौड़ाई का रास्ता कटाण नियमानुसार देय प्रतिफल राशि वहन हेतु प्रार्थी सहमत है।

5. वकील प्रार्थी द्वारा एवं राजपैरोकार की दलीलों एवं बहस पर गहनतापूर्वक मनन व विवेचन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात् राजस्व रिकॉर्ड, मौका रिपोर्ट तहसीलदार जायल का अवलोकन किया गया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251क के तहत केवल किसी कृषक खातेदार की भूमि में से उसकी असहमति खातेदार काश्तकार को आत्यान्तिक आवश्यकता सिद्ध होने तथा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं होने पर संबंधित पक्षकार को सुनकर गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारीत किया जाकर रास्ता दिये जाने का प्रावधान है। परन्तु हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी द्वारा अपने खातेदारी व कब्जा सुदा खेत खसरा नं. 1199 रकबा 0.7851 हैक्टेयर में कृषि कार्य हेतु आवश्यक संसाधन लाने व ले जाने हेतु ग्राम रोल तहसील जायल के खसरा नं. 1200 किस्म गैर मुमकिन मगरा है, जो सरकारी भूमि है में से रास्ता चाहा गया है। तहसीलदार जायल से प्राप्त मौका रिपोर्ट दिनांक 13.10.2020 के अवलोकन से स्पष्ट है कि ग्राम रोल तहसील जायल में स्थित खसरा नं. 1199 की भूमि प्रार्थी का खातेदारी व कब्जा सुदा खेत है, जिसमें कृषि कार्य करने बाबत् आने जाने व कृषि संसाधनों को लाने व ले जाने बाबत् किसी प्रकार का मार्ग/रास्ता नहीं है, जिससे प्रार्थी की रास्ते की आत्यान्तिक आवश्यकता होना प्रतीत होता है, साथ ही प्रार्थी के खातेदारी खेत खसरा नं. 1199 के लिए अन्य कोई नजदीकी अथवा वैकल्पिक रास्ता नहीं होना तहसीलदार जायल से प्राप्त मौका रिपोर्ट दिनांक 13.10.2020 से स्पष्ट हैं।

चूंकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251क में विहित प्रावधान के किसी भी काश्तकार को उसके खातेदारी के खेत में कृषि कार्य हेतु प्रयुक्त किये जाने वाले आवश्यक संसाधनों को लाने व ले जाने के लिए रास्ते की अनुपलब्धा होने की स्थिति में नियमानुसार रास्ता उपलब्ध कराया जाता है। हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी द्वारा खातेदारी के खेत खसरा नं. 1199 में कृषि कार्य के लिए

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

03/11/2020
सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
जायल, जिला नागौर

आने जाने व कृषि संसाधनों को लाने व ले जाने हेतु किसी प्रकार का मार्ग/रास्ता नहीं है जिससे प्रार्थी की रास्ते की आत्यान्तिक आवश्यकता सिद्ध पाई जाती है, साथ ही प्रार्थी के खातेदारी खेत खसरा नं. 1199 के लिए ग्राम रोल के खसरा नं. 1200 में से प्रस्तावित रास्ता माफिक नजरी नक्शा में दर्शाये के अनुसार अन्य कोई नजदीकी अथवा वैकल्पिक रास्ता नहीं होने का बिन्दू तहसीलदार जायल की मौका रिपोर्ट से साबित है तथा प्रार्थी वैकल्पिक रास्ता का अभाव व रास्ते की आत्यान्तिक आवश्यकता का बिन्दू अपने पक्ष में साबित करने में सफल रहे है तथा प्रार्थी का प्रार्थना में चाहा गया अनुतोष सम्पुष्ट होता है।

हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी द्वारा ग्राम रोल तहसील जायल के खसरा नं. 1200 में से माफिक नजरी नक्शानुसार प्रस्तावित रास्ता की भूमि सरकारी भूमि है जिसकी किस्म गैर मुमकिन मगरा है होना नकल जमाबंदी व तहसीलदार जायल की मौका रिपोर्ट दिनांक 13.10.2020 से स्पष्ट है। जिसके लिए राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के परिपत्र क्रमांक : प03(52)राज–6/12/14 दिनांक 14.06.2013 में यह स्वीकृति प्रदत्त की गई है कि यदि कोई खातेदार अपनी जोत तक पहुचने के लिए राजकीय भूमि में से होकर नया रास्ता बनाना चाहता है या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारित या चौड़ा करना चाहता है तो ऐसे खातेदार द्वारा ऐसी सुविधा के लिए आवेदन करने पर उपखण्ड अधिकारी द्वारा जांच करने पर यह समाधान हो जाने की मार्ग की आवश्यकता है एवं खातेदार को उसकी जोत तक पहुचने के लिए वैकल्पिक साधन का अभाव है उक्त स्थिति में राजस्थान स्टाम्प नियम 2004 के नियम 2 के उप–नियम(1) के खण्ड (ख) के तहत गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा सिफारिश की गई कृषि भूमि दरों को दुगना प्रतिकर लिया जाकर रास्ता प्रदत्त किया जावे। यह नया मार्ग लघुत्तम या निकटतम रूट से होगा तथा 30 फीट से अधिक चौड़ा नहीं होगा साथ ही उक्त रास्ते के लिए प्रदत्त की गई भूमि राजस्व अभिलेखों में रास्ते के रूप में अभिलिखित की जावेगी एवं उक्त भूमि का रास्ता सार्वजनिक प्रयोजन के लिए होगा।

अतः राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के परिपत्र को मध्यनजर रखते हुये ग्राम रोल तहसील जायल के खसरा नं. 1199 के खातेदार काश्तकार की कृषि कार्य हेतु आवश्यक संसाधन को लाने व ले जाने के लिए रास्ता की आत्यान्तिक आवश्यकता प्रतीत होने तथा ग्राम रोल तहसील जायल के खसरा नं. 1200 गैर मुमकिन मगरा की भूमि के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक व नजदीकी रास्ता नहीं होने से 30 फीट चौड़ा रास्ता तहसीलदार जायल से प्राप्त मौका रिपोर्ट के अनुसार उपभोग में आने वाली भूमि 0.10 बीघा के लिए अंकित की डी.एल.सी. दर की

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

03/11/2020
सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
जायल, जिला नागौर

दुगना प्रतिकर राशि 90054/– (अक्षरे : नब्बे हजार चौप्पन) राजकोष में जमा कराये जाने पर दिया जाना न्यायसंगत व उचित प्रतीत होता है।

– : : आदेश : : –

यत् प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र रास्ते की आत्यान्तिक आवश्यकता एवं कृषि प्रयोजनार्थ स्वयं आने व जाने अथवा संसाधनो को लाने ले जाने के लिए वैकल्पिक मार्ग का अभाव सिद्ध होने के कारण मौजा रोल तहसील जायल के खसरा नं. 1200 रकबा 6.3131 हैक्टेयर भूमि में से माफिक नजरी नक्शानुसार 0.10 बीघा का तहसीलदार जायल से प्राप्त मौका रिपोर्ट दिनांक 13.10.2020 के अनुसार डोटेट मार्क ए. से बी. के अनुसार रास्ता स्वीकृत किया जाता है। प्रार्थी तहसीलदार जायल से प्राप्त मौका रिपोर्ट में दर्शाये अनुसार डी.एल.सी. दर की दुगना प्रतिकर राशि 90054/– रू. अप्रार्थी को भुगतान करे। माफिक आदेश बाद अपील मियाद के अप्रार्थी न्यायालय आदेश के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर पालना रिपोर्ट पेश करे तदनुसार तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 03/11/2020 को मेरे द्वारा सरे ईजलास सुनाया गया।

03/11/2020

(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) नागौर
एवं
उपखण्ड अधिकारी जायल

सहायक कलक्टर * (एस.डी.ओ.) जायल *